राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्र. एफ 16 (16)(5) परि/लेखा/राजस्व/ई–ग्रास/2019–20/3402 जयपुर, दिनांकः 1-3-2024

परिपत्र

राज्य के समस्त भार वाहनों से मोटर वाहन कर की वसूली दिनांक 15 मार्च, 2024 से पूर्व सुनिश्चित किया जाना है। मोटर वाहन करों से शत–प्रतिशत वसूली किए जाने के उद्देश्य से माह मार्च, 2024 के दौरान कर संग्रहण कार्य के लिए निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:–

1. कर राशि का नगद संग्रहण केवल वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जावेगा। वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर के जरिए कार्यालय के काउंटर पर रु. 5000 से अधिक राशि का कर दिनांक 31.03.2024 तक ही जमा कराया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में कर संग्रहण हस्तलिखित (मैन्युअल) नहीं लिया जावेगा।
2. प्रादेशिक/जिला/उप परिवहन कार्यालय में समस्त प्रकार के नकद संग्रहण राशि की प्राप्तियों की व्यवस्था को दिनांक 01.04.2024 से पूर्णतया समाप्त किया जाता है।
3. यह व्यवस्था राज्य में कर संग्रहण वास्ते अमल में लायी जा रही है अतः करदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए व्यापक प्रचार–प्रसार अत्यंत आवश्यक है इस हेतु निम्न कार्यवाही प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा संपादित की जावेगी–
   - A. प्रादेशिक/जिला परिवहन/उप परिवहन कार्यालय आवश्यकतानुसार ऑफिस में अथवा ऑफिस से बाहर अतिरिक्त काउंटर दिनांक 15.03.2024 तक लगाकर कर संग्रहण को तेजी प्रदान करेंगें। यदि आवश्यकता हो तो इंटरनेट के लिए डॉगल इत्यादि डिवाइस प्रयोग में लेंगे। परंतु offline कर जमा नहीं किया जावेगा।
   - B. कार्यालय परिसरों में (उप परिवहन कार्यालय सहित) सहज दृश्य स्थान पर एक 8''4' फीट का पूर्वानुसार बैनर लगायेंगें जो की सभी कार्यालयों में एक समान तरह का होगा। अन्य प्रमुख स्थलों यथा कर संग्रह केन्द्र, ट्रांसपोर्ट यूनियन एंव टोल टैक्स प्लाजा पर भी आवश्यकतानुसार बैनर लगाये जावें। लगाये गए बैनर का फोटोग्राफ मुख्यालय को प्रेषित किया जावेगा।
   - C. प्रादेशिक/जिला /उप परिवहन कार्यालय नकद संग्रहण राशि की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं संग्रहित राशि को अविलंब नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने हेतु संबधित को निर्देशित करेगें तथा जमा करवाना सुनिश्चित करेगें।
   - D. मोटर वाहन उप निरीक्षक/निरीक्षक को जिले में आवंटित कार्यक्षेत्र के समस्त ट्रकों/वाहनों का कर निर्धारित समयावधि में विभागीय एप्लीकेशन वाहन 4.0 पर जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।
   - E. करदाताओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु इस आशय के समाचार को प्रमुखता से सभी मुख्य–मुख्य दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय प्रकाशनों में निरंतर रूप से छपवायें।
   - F. माह मार्च, 2024 में कार्यालय के कैश काउन्टर्स तथा अतिरिक्त कैश काउन्टर्स सभी राजकीय अवकाशों में पूरे दिन खुले रहेगें। राजकीय अवकाश के दिनों में केवल कर संग्रहण कार्य ही किया जावेगा।

उक्त परिवर्तित व्यवस्था अनुसार अब परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक के स्तर पर कोई कर संग्रहण नहीं किया जावेगा। परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षकों द्वारा मुख्य मार्गों पर सघन प्रवर्तन कार्यवाही की जावेगी ताकि करवंचना की संभावना नगण्य हो सके।

उक्त व्यवस्था का प्रभावी पर्यवेक्षण विभागीय ई–फाइल ओदश क्रमांकः 5163383 दिनांक 12.12.2023 (यथा संशोधित) द्वारा नियुक्त क्षेत्रवार मुख्यालय प्रभारी अधिकारियों द्वारा किया जावेगा।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की [जावे। उक्त आदेश/परिपत्र वित्त] विभाग की आई डी क्रमांक 262400013 दिनांक 29.02.2024 द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार [ही] जारी किये जाते हैं।

5884619

Signature valid
Digitally signed by Ma[illegible]sha Arora
Designation : Commissioner
Date: 2024.03.01 1[illegible]:42:51 IST
Reason: Appro[illegible]

[आ]युक्त, परिवहन
एवं सड़क सुरक्षा

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\5884619_7455087210043098490.docx/

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

3403 - 3410

क्र. एफ 16 (16)(5) परि / लेखा / राजस्व / ई-ग्रास / 2019-20 / जयपुर, दिनांक 1-3-2-24

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी एण्ड टी), शासन सचिवालय, जयपुर।
5. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), परिवहन विभाग, जयपुर।
6. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
7. सिस्टम एनालिस्ट, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही करावें।
8. समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

आयुक्त, परिवहन

RajKaj Ref
5884619

Signature valid

Digitally signed by M... .ha Arora
Designation: Com...ioner
Date: 2024.0... 42:51 IST
Reason: Appro...

\\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\5884619_7455087210043098400.docx/

Scanned with OKEN Scanner